न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 47/19 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. होशियारसिंह पुत्र रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम धोकलनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:----- अपीलांट

बनाम

1 रामप्रसाद उर्फ रामप्रसाद पुत्र हरदेवा जाति अहीर निवासी ग्राम धोकलनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

2 उप पंजीयक मुण्डावर

3 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, मुण्डावर

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 27.6.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री महेन्द्रसिंह यादव

2 वकील रेस्पो0ंस01 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक – 01.03.2021

–'---- ----------

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 234/17 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 27.6.19 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी वादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदाल में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 732, 855, 856, 857 वाके ग्राम छापुर व आराजी हाल खसरा नम्बर 685, 686, 689, 691 वाके ग्राम धोकलनगर व खसरा नम्बर हाल 363, 370, 1173/96, 79, 376, 382, 384, 387, 392, 398, 401, 1176/103, 379, 1172/96 वाके ग्राम भीवाका तहसील मुण्डावर के मौरूसे आला हरदेवा थे । जिनके देहान्त के बाद उनके पुत्रान रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद, रमजू, बुधा, रामस्वरूप को प्राप्त हुई थी । विवादित आराजी पैत्रिक है । सभी शामलात में खेती कर रहे हैं । प्रार्थी का विवादित भूमि में जन्म से ही अधिकार है । अप्रार्थी संख्या 01 के दो विवाह हुये थे । पहली पत्नि चमेली के प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी ने जन्म लिया । चमेली के देहान्त के बाद रामप्रताप ने दूसरा विवाह कमला देवी से किया । उक्त कमला देवी के प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4 ने जन्म लिया । प्रतिवादीगण आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने उक्त प्रार्थना पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है, जिसकी यह अपील प्रार्थी वादी ने प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि पैत्रिक है, जिसमें अपीलांट का जन्म से ही अधिकार है । प्रतिवादी हम अपीलांट को हमारे हिस्से की भूमि से वंचित रखना चाहता है । इसलिये हमने वाद पत्र प्रस्तुत किया । प्रतिवादीगण भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं । इसलिये हमने धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे गलत तौर पर खारिज कर दिया गया । यह आवश्यक नहीं है कि एक खातेदार के खिलाफ टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती । आर0 एल0 डब्ल्यू0 2005 (2) राज0 पेज 219 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि अपने पिता के जीवनकाल में पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है, वह उसका विभाजन करा सकता है, अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु किो अधिकारों के सम्बन्ध में निर्णय होने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने गौर नहीं किया । धारा 212 के तीनों बिन्दू मेरे पक्ष में साबित है । फिर भी गलत तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि का पारिवारिक सैटिलमैंट हो चुका है । जिसके अनुसार ग्राम भिवाडा की आराजी रामप्रताप को प्राप्त हुई है और ग्राम छापुर व धोकलनगर की आराजी बुधा व रमजू को प्राप्त हुई है । पारिवारिक सैटिलमैंट रजिस्टर्ड है । प्रार्थी अपीलांट ने तहत अदालत में पूर्व में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 25.9.17 को अदम हाजरी में खारिज हो गया था । उसे पुनः नम्बर पर लेने के स्थान पर उसकी अपील अदालत हाजा में प्रस्तुत की थी, जो दिनांक 16.11.17 को खारिज हो गई । इसके बाद प्रार्थी ने तहत अदालत में दिनांक 9.10.17 को पुनः प्रार्थना पत्र संख्या 265/17 प्रस्तुत किया, जो भी अदम हाजरी में खारिज हो गया । अब पुनः यह तीसरा प्रार्थना पत्र उसी आराजी को लेकर प्रस्तुत किया है । अब प्रार्थी अपीलांट को कोई कॉज ऑफ एक्थन पैदा नहीं होता है । 2009 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 162 में माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पिता की मौजूदगी में बंटवारा का दावा करने का अधिकार नहीं है । तहत अदालत ने धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित करते हुये सही तौर पर प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि का खातेदार रेस्पो0 रामप्रताप है, जिसने भूमि का पंजीकृत बयनामा बुधा वगैरा को कराया है और कब्जा केता को सम्भलाया गया है । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में कतई साबित नहीं है । बल्कि रेस्पो0 के पक्ष में साबित है । अगर उनको, जो कि काबिज रेकार्डेड खातेदार है, अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उनको असुविधा होगी अर्थात सुविधा का संतुंलन भी रेस्पो0 के पक्ष में ही बनता है । अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अगर रेस्पो0 को उनकी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित कर दिया गया तो उनको हानि होगी अर्थात अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी अपीलांट के पक्ष में साबित न होकर रेस्पों0 कें पक्ष में ही साबित है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

6 विद्वान तहत अदालत ने धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित करते हुये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमें उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोथनी में हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेथ है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.6.19 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर